FORM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

विनिता शर्मा बनाम श्रीमान [illegible]

नं. 129 सन् 2021

किस्म मुकदमा 111,128 [illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23/6/21 | वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 29/6/21 को पेश हो। Sd/- | |
| 29/6/21 | पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी उपस्थित। वकिल वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 7 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। शेष प्रतिवादी बावजूद तामील के अनुपस्थित अतः एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। [illegible] धारा 111,128 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया [illegible] होकर नम्बर से कम हो [illegible] जाकर मा. प्रा. किया गया। Sd/- | प्रतिवादीगण सं. 7 के विरुद्ध कार्यवाही ड्राप की जाती है। Sd/- K.K. [illegible] |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:54:17 IST
Reason: SelfAttested

# यायालय लेण्ड रेकार्ड (उपखण्ड अधिकारी) बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर ए एस)

प्रकरण संख्या 129 / 2021 प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक 23 / 06 / 2019
निर्णय दिनांक 29 / 06 / 2021

अनवान

1. विनिता पुत्री किशनलाल शर्मा निवासी – सी– 107 , शास्त्रीनगर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0

.......प्रार्थीया

बनाम

1. हनुमानसिह पिता गंगासिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. गोदुसिंह पिता सगतसिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. कुन्दनसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. बनुसिह पिता हिम्मतसिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. मुकेश पिता राधाकिशन राठी निवासी – सुनारो के नोहरे के पास , जुनावास भीलवाडा जिला भीलवाडा
6. भगवतसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. लक्ष्मणसिंह पिता जोधसिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. मनोहरसिंह पिता गंगासिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. शिवसिंह पिता गंगासिंह राजपुत निवासी बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. मनोज कुमार पिता रामस्वरूप सेन निवासी – तडबो का मोहल्ला , माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
11. सराफत हुसेन पिता मो0 शरीफ अंसारी निवासी – इन्द्रा कालोनी माण्डल जिला भीलवाडा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:54:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 23.06.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बैरा पटवार मण्डल बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 631 स्थित आराजी संख्या 151 / 2 , 2933 / 151 कुल किता 02 रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की है । प्रमाण मे नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है ।

5586

...क्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है । प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधि विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसे प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है । आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये विपक्षी गण जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षी गण नियत दिनांक पर वास्ते अपना पक्ष रखने हाजिर नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है । एंव विपक्षी संख्या 07 की ओर से कोई कार्यवाही नही चाहने का प्रार्थनापत्र पेश किया जो कि विपक्षी संख्या 07 का नाम डिलीट किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई । प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

**—:: आदेश::—**

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्व विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बैरा पटवार मण्डल बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 631 स्थित आराजी संख्या **151/2 , 2933/151 कुल** किता 02 रकबा 0.1897 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा (विधिवत तामील करा) बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 100/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की ... बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली ... होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:54:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज ... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

5586

(अंशुल सिंह)
लेण्ड रेकार्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)